न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :21/2019

1. गुड्डी देवी पुत्री गुरमुख सिह पत्नि महेन्द्र सिह जाति बावरी निवासी चक 9 एफ माझीवाला हाल आबाद चक 59 एफ बी तहसील श्री करणपुर। —प्रार्थीया—

बनाम

1. तेज कौर पत्नि दर्शन सिह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्री करणपुर।
2. जोगेन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्री करणपुर।
3. राजकुमार पुत्र दर्शन सिह जाति बावरी निवांसी 59 एफ तहसील श्री करणपुर।
4. मंगल सिह पुत्र किशन सिह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्री करणपुर।
5. बिन्दर सिह पुत्र किशन सिह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्री करणपुर।
6. जलकौर पत्नि किशन सिह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्री करणपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री अशोक जोशी , अधिवक्ता -:प्रार्थीया की ओर से:-
2. एकपक्षीय कार्यवाही -:अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 :-
3. राजपैरोकार -: अप्रार्थी संख्या 7 :-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 20/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के दादा/ससुर गुरमुख सिह पुत्र प्रेम सिह के नाम चक 59 एफ बी की जमावन्दी सम्वत 2069 ता 72 के मु.न. 14,17,22, की कुल 5.060 हैक्टर, मे से 0.759 हैक्टर (तीन बीघा) व इसी चक के खाता संख्या 26/21 के मु.नं. 2,28,35, की कुल 4.667 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 1.588 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त दोनो खातो की कुल 2.347 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि प्रार्थीया के पिता गुरमुख सिह पुत्र प्रेम सिह ने अपने जीवन काल में जरिये पंजीकृत दान-पत्र दिनांक 06.03.2019 रोबरू गवाहन अपनी स्वतन्त्र इच्छा एवं विवके से प्रार्थीया के पक्ष में अन्तरित कर दी तथा गुरमुख सिह पुत्र प्रेम सिह द्वारा दान की गई उक्त भूमि को प्रार्थीया ने उसी रोज प्रतिग्रहित की। इस भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण की जानकारी में एवं उनके समक्ष गुरमुख सिह द्वारा दानपत्र के रोज मुझ प्रार्थीया को सम्भला दिया, उस रोज से ही प्रार्थीया का उक्त भूमि पर बतौर स्वामी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता गुरमुख सिह ने हल्का पटवारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीया के नाम जरिए दानपत्र प्राप्त उपर्युक्त भूमि का नामान्तरण उसके नाम दर्ज करवाने के लिए दान पत्र की चित्र प्रति हलका पटवारी को दी। जिस पर पटवारी हलका ने विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही वह दान पत्र के आधार पर प्रार्थीया के नाम इन्तकाल दर्ज कर देगा। इसके पश्चात दिनांक 21.04.2019 को प्रार्थीया के पिता व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के दादा/ससुर गुरमुख सिह का देहान्त हो गया। आज से करीब 5 रोज पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रार्थीया के पास आये तथा ऐलानिया कहा कि वे स्वर्गीय गुरमुख सिह द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में दानपत्र की गई एवं प्रार्थीया के क़ब्जांधीन भूमि पर जवरन कब्जा करेगे। इसका विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवा कर इसे अन्यत्र बेचान करेगें। इस पर वादिया ने कहा कि यह जमीन तो स्वयं गुरमुख सिह ने जरिये पंजीकृत दानपत्र प्रार्थीया को अन्तरित की हुई है। अव आपका इस भूमि के सम्बन्ध में कोई विरासतन हक नही रहा है। इस भूमि की मालिक प्रार्थीया हैं। इस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता6 ने कहा कि तुम्हारे पक्ष में हुए दानपत्र का हमने अमलदरामद ही नही होने दिया। जमीन आज भी हमारे ससुर/दादा गुरमुख सिह के नाम ही दर्ज चली आ रही है। इस पर प्रार्थीया ने राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्राप्त की और पाया कि राजस्व पटवारी द्वारा आज तक भी उक्त दान पत्र के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में हुए अन्तरण का नामान्तरण दर्ज नही किया है। प्रार्थीया की माता का देहान्त करीव 20 वर्ष पूर्व हो चुका था। जिसकी मृत्यू उपरान्त हम सभी बहनों का विवाह हो चुका था। गुरमुख सिह कुछ समय तक अपने बेटो के साथ रहता रहा। लेकिन गुरमुख सिह के बेटो व पोतो के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, उसके परिणाम स्वरूप गुरमुख सिह काफी परेशान हो गया उसके द्वारा अपनी देखरेख व अपनी सार सम्भाल करने हेतु प्रार्थीया को कहा गया कि वह अपनी कृषि भूमि की देखभाल करने में अब सक्षम नही रह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

गुरुजी देवी बनाम तेज कौर आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 21/2019

है। इसलिए वह गाव 59 एफ बी आकर आबाद हो जाए। उसकी व उसकी कृषि भूमि की देखभाल करे। अपने पिता की वृद्धावस्था और अरक्षित हाल अवस्था को देखकर प्रार्थीया अपने परिवार सहित चक 9 एफ ए माझीवाला से 59 एफ आ गई व अपने पिता की देखभाल करने लगी और उनकी काश्त में मदद करने लगी। प्रार्थीया की सेवा चाकरी से खुश होकर गुरमुख सिह ने अपनी कृषि भूमि में से वादाधीन 2.347 हैक्टर का दानपत्र स्वरूप रूबरू गवाहान अन्तरित कर कब्जा प्रार्थीया को सौंप दिया था। इस प्रकार प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार स्वामी एवं अधिभोगी हो चुकी है। तदानुसार ही प्रार्थीया इसे अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थीया अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 59 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 14/14 के मु.न. 14,17,22, की कुल 5.060 हैक्टर, मे से 0.759 हैक्टर (तीन बीघा) व इसी चक के खाता संख्या 26/21 के मु.न. 2,28,35, की कुल 4.667 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 1.588 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि दोनो खातो की कुल 2.347 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व करवाने से बाज ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गईं। जवाब स्टेट पेश नही करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 59 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 14/14 के मु.न. 14,17,22 की कुल 5.060 हैक्टर में प्रार्थीया के पिता गुरमुख सिह के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि तथा इसी चक के खाता संख्या 26/21 के मु.न. 2,28,35 की कुल 4.667 हैक्टर भूमि में से गुरमुख सिह के नाम दर्ज 1.588 हैक्टर भूमि दोनो खातो की कुल 2.347 हैक्टर नहरी भूमि मय खाल जो प्रार्थीया को अपने पिता गुरमुख सिह से जरिए दान पत्र प्राप्त हुई है, के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रांवली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 13.05.2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 20/8/2019.. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner